## आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)a के तहत आर०एम० वाद सं०—111/2010—11

पान् मुण्डा	विक्रेर
11 3 01	बनाम
नरत मुण्डा	

23.07.22

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, तमाड़ के द्वारा इस वाद में जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। आवेदक एवं उनके अधिवक्ता द्वारा अनुमित वाद में किसी भी तरह का कोई अभिरूची नहीं दिखाई जा रही है यानि आवेदक को जमीन बिक्री करने में कीई दिलचस्पी नहीं है।

अतः उपरोक्त अनुमित वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

## भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना	खाता सं०	प्लॉट	रकबा
	स०		सं०	
आगरा	तमाड़	76	851	0.30
			852	0.91
			853	0.36
		854	0.13	
			855	0.21

लेखापित एंव संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)। भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)।